प्रकरण संख्या 12/2021 श्रीमती दामणी व अन्य बनाम गौतम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.08.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी नंबर 403, 404, 445 से 449 कुल किता 7 रकबा 28 बीघा 3 बिस्वा भूमि ग्राम तोरणीया, तहसील बांसवाड़ा में स्थित है। वादीगण अपने पिता भेरिया के समय से काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण उक्त आराजियात में कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हैं तथा खेती करने से मना करते हैं। वादीगण पटवारी से मिले तो पता चला कि वादग्रस्त 6 खेत अपने नाम बेचान करना बताकर नामान्तरकरण प्रविष्टि के क्रम में कांट–छांट कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकृत करा लिया है। गलत प्रविष्टि के आधार पर प्रतिवादीगण भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर उतारू हैं। अतः वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2019 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में अपील दिनांक 14.09.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश द्विवेदी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील मयाद के समय कोविड–19 का प्रभाव था, जिससे अपीलान्ट को निर्णय की प्रति प्राप्त नहीं हो सकी। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं निर्णय का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:08 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट ने अपील मीमों में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकियों का पूर्ण विवेचन नहीं किया है। अपीलान्ट अपने पिता भेरिया के समय से उक्त आराजियात पर काश्त करता चला आ रहा है तथा राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट संख्या 2 का नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण ने अलग–अलग विक्रय पत्र एक ही दिनांक 02.09.1971 को अलग–अलग व्यक्ति के पक्ष में कराये हैं एवं भेरिया के पुत्र संतान नहीं होने का फायदा उठाकर ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर नामान्तरकरण में कांट–छांट कराकर भूमियां अपने नाम गलत तरीके से अंकित करवायी हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी अनुसार विवादित आराजी नंबर 403, 404, 445 से 449 कुल किता 7 रकबा 28 बीघा 3 बिस्वा भूमि भेरिया के खातेदारी में दर्ज है तथा भेरिया द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय रेस्पोडेन्ट के पक्ष में किया गया है, जिसका नामान्तरकरण भी दिनांक 05.05.1972 स्वीकृत हो चुका है तथा दिनांक 25.02.2006 को भेरिया की मृत्यु भी हो चुकी है, जबकि अपीलान्ट/वादीगण जो भेरिया की पुत्रियां हैं, उनके द्वारा वर्ष 2014 में वाद प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 25/2014 निर्णय एवं डिक्री 18.12.2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति ...)
सु. प्रबन्ध ...कारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:08 IST
Reason: Self Attested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**............

व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** ....

श्रीमती दामडी पुत्री भेरिया (पत्नी हकरू) भील, निवासी तोरणीया हाल कालानाला, तहसील सरवन, जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **गौतम पिता मलिया भील, निवासी तोरणीया, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.......**12/2021**..........व नाराजगी डिगरी अदालत..........**उपखण्ड अधिकारी**...
...**बांसवाड़ा**........ मुकाम................मुवर्खे.............**18**..............माह..............**12**...........**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**28**....माह........**08**....सन् **2025** रूबरू.......**पक्षकारान** व हाजरी......**श्री मुकेश द्विवेदी**........मिनजानिब अपीलान्ट व..........**श्री पैरोकार सरकार**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 25/2014 निर्णय एवं डिक्री 18–12–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**28**.......माह.......**08**..........**2025** को जारी किया गया।

28.8.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर सत्यमेव जयते

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.......... मीजान		

नोट:– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का ... के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:08 IST
Reason: SelfAttested